an>

Title: Discussion on points arising out the answer given by the Minister of Rural Development on 24.07.14 to starred Question No. 243 regarding "Irregularities Under MGNREGS".

HON. CHAIRPERSON : Now, we shall take up Item No. 16 – Half-an-hour Discussion.

Kunwar Bharatendra Singh.

कुँवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनौर): सभापति महोदय, आपने मुझे मनरेगा के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। यहां पर अधिकतम माननीय सदस्य ग्रामीण अंचल से चुन कर आते हैं। हमारे मतदाता, जिनके हम वोट प्राप्त करके यहां पर आते हैं, वे इस नीति से बहुत प्रभावित होते हैं।

सभापति महोदय, यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि मनरेगा में लोग अपना काम करने दस बजे आते हैं और काम शुरू होता नहीं है कि लगभग 12 बजे वे घर लौट जाते हैं। पूरा काम केवल कागज़ी और फर्ज़ी होता है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We will continue the Discussion under Rule 193 tomorrow. We have now taken up the Half-an-hour Discussion.

...(*Interruptions*)

कुँवर भारतेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, अपने विषय को बल देने के लिए मैं सीएजी की रिपोर्ट और योजना आयोग के सदस्यों की ग्रामीण यात्रा के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट के कुछ अंश अंग्रेजी में पढ़ना चाहूंगा।

From 54 days of work for household in 2009-10, it fell to 43 in 2011-12. Job cards were not issued for 12,455 households in six States. In 31 per cent of verified Panchayats, MGNREGA Annual Plans were either prepared or prepared incompletely and incompetently. Only 30 per cent which is 39 lakh out of the 129 lakh total approved works were completed. Ninety-five lakh cases of wrong wage calculation have been reported and found in 18 States. 1.1 lakh cases of wrong bill amounts for the purchase materials under the Scheme have been found. 14,764 duplicate job cards were found in Ranchi district of Jharkhand alone. 37,229 workers have not been paid unemployment allowances in two districts of Assam. 2,016 ghost workers were found in two Panchayats of Assam. States, prominently Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Haryana, do not maintain work inspection records. 18 to 54 per cent of the Gram Panchayats which were checked showed irregular MGNREGA records. 39 districts were never visited by the national level monitors of the Ministry even once between the years 2007 and 2011.

Sir, the Act guarantees at least 100 days of employment a year to at least one member of any rural household who is willing to perform unskilled labour for the minimum wage. This became a nationwide programme in 2008. It aimed at halving property from 1990 to the year 2015. In 2012-13, a massive amount of Rs.40,000 crore was set aside to be spent in one year of this policy. No cost benefit analysis has been made. We do not know where this money is sinking, and whether the village society or the family that has been impacted got the benefit. No impact assessment was ever done either.

Therefore, Sir, three questions arise. How have benefits accrued to the eligible workers? Secondly, I would like to know whether these benefits have persisted overtime. Thirdly, how useful were the projects undertaken by MGNREGA?

Unemployment levels in rural sectors should have been reduced through this policy. However, unemployment on a Current Daily Status was at 8.28 per cent in 2004-05 and in 2009-10, unemployment rose to 9.4 per cent; of which 7.3 per cent was urban labour force and a staggering 10.1 per cent was rural labour force. There is a large part of the Indian labour force, which is underemployed.

As we all know, in agriculture, most of the agriculturists and the children of farmers do not get employment. They are completely underemployed in looking after that small plot of land that they have inherited. Hence good implementation should have helped meet the basic need in rural India.

However the figures given by the Government of India show disappointing performance with deteriorating figures. The average person days for household employment in MNREGA were as follows. In Arunachal Pradesh, in 2009-10, it was 14 but in 2011-12, it came down to six. In Uttar Pradesh, in 2009-10, it was 51 but in 2011-12, it came down to 30. The country average dropped from 46.83 to 32.

The country was assured that 50 million families could get employment at a cost of Rs. 40,000 crore. However the Audit shows the sad picture. Completing 100 days of work was used to monitor this policy. In Arunachal Pradesh, in 2009-10, nobody completed 100 days of work. It was zero. In 2010-11, in Arunachal Pradesh, yet again nobody completed 100 days of work. It was zero again. In Uttar Pradesh, in 2009-10, only seven people managed to complete 100 days of work but in 2010-11, this figure dropped to 1.9. The data provided by the Government on a nationwide basis was as follows. It was 7.08 in 2009-10, which dropped to 1.39 in 2010-11. Similarly, the percentage of expenditure undertaken of Funds set aside in six years is as follows. In 2006-07, in Arunachal Pradesh, it was 18.27 per cent. But in 2011-12, in Arunachal Pradesh, it was dropped to 1.36 per cent. In 2006-07, in Madhya Pradesh, it was 87.30 per cent but in 2011-12, it dropped to 69.60 per cent.

The figures of Completed Work against Planned Work were as follows. In 2006-07, Arunchal Pradesh completed 18.27 per cent projects, which in 2011-12, dropped to 1.36 per cent. In 2006-07, Jammu and Kashmir completed 68.92 per cent projects, which in 2011-12 dropped to 39.66 per cent. As regards the overall national picture, in 2006-07, it was 47.15 per cent while in 2011-12, it dropped to 20.25 per cent.

Sir, Clause 11(C) of this Act – Functions and Duties of the Central Council – empowers reviewing, monitoring and redressal mechanism from time to time and recommend improvements. Similarly, Clause 3(B) of this Act – State Council Functions and Duties – empowers it to determine works. But since most of the Councils are headed by officers, who are usually transferred at the whims and fancies of the State Governments and Central Government, who are not answerable to the people, little improvements have been made apart from the continuing terrible performance,

which I have just spelt out.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please ask your questions.

KUNWAR BHARATENDRA SINGH : Sir, I am just concluding.

The Government should consider changing the heads of the Committees by elected representatives. We, the public representatives can do intensive monitoring because we carry on to visit our Constituencies and we do not get transferred. So, we can observe the durability of the projects and their cost effectiveness.

Assessment was done according to four criteria – average number of days worked per household, percentage of households completing 100 days of work, percentage of allocated funds spent and percentage of work completed.

The performance has been dismal. In the current Economic Crisis of high Fiscal and Current Account Deficits, the nation needs an efficient system, local participation of farmers, transparency; and public accountability has to be put into place to justify such huge national expenditure. People face the effects of recession, loss of jobs, shortages of income on one hand and lack of money and rising prices on the other. Just to give you a comparative, in the year 2011-12, Rs.38,371.32 crore was spent on giving fuel subsidy. MGNREGA has Rs.17,000 crore which is unspent. This amount alone is 44 per cent of the fuel subsidy. This itself has had a substantial effect on the village economy.

HON. CHAIRPERSON : Please put your question.

KUNWAR BHARATENDRA SINGH : Sir, let me complete. I have asked for the discussion.

HON. CHAIRPERSON: You have already taken 10 minutes.

KUNWAR BHARATENDRA SINGH : Sir, the C&AG in 2013 had observed that there was rampant manipulation and no filing of muster rolls. The Block Development Officers, who are in-charge of this, were issuing cheques in their own names. MGNREGA is creating an agricultural labour deficit, especially during peak harvesting and sowing times. MGNREGA is turning into a sinkhole that is contributing to the fiscal deficit of our country. There is corruption at all stages. There is long delay in payments. The local officials and Panchayats are siphoning off funds earmarked for projects; and the project activity is dull. The workers are moving away from their mainstay of agriculture.

An officer has observed that projects of digging pits in the name of ponds are undertaken under MGNREGA but water from these pits evaporates and seeps very fast. Poor people cannot depend on Government for unskilled employment. This cannot be done in perpetuity and it is harming the farmer.

HON. CHAIRPERSON: You tell me what you want. Come to the specific question.

कुँवर भारतेन्द्र सिंह : महोदय, मुझे केवल एक मिनट और दीजिए। मनरेगा के द्वारा देश के अमूल्य धन को गड्ढे खोदने व गड्ढे भरने में लगाया जा रहा है। यह तो योजना आयोग और सीएजी की रिपोर्ट के द्वारा साबित हो चुका है। मनरेगा के कारण क्या पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण सड़कों की स्थिति में सुधार आया है? यहां पर इतने माननीय सदस्य बैठे हैं, हम सब कह सकते हैं कि एक भी ग्रामीण सड़क की स्थिति में सुधार नहीं आया है। क्या मनरेगा के कारण कोई भी दीर्घकालिक लाभ ग्रामीण अंचल में स्थापित हुआ है?

मान्यवर, पट्टे धारकों के लिए तालाब बनाने की योजना है, मगर मैं अपने क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के पट्टे धारकों को केवल आधा एकड़ की जमीन उपलब्ध करायी जाती है। इस छोटे से जमीन के टुकड़े में क्या वे जलाशय बनवाना चाहेंगे? किसी भी काम का वास्तविक सत्यापन नहीं हो रहा है और शिकायत करने से केवल प्रधान को जांच में थोड़ा और पैसा देना पड़ता है किन्तु कोई भी सदुपयोगी काम नहीं हो पा रहा है। एक अर्थशास्त्री का वक्तव्य है, मैं अपने भाषण को समाप्त कर रहा हूं।

HON. CHAIRPERSON: Please wind up. It is not a debate.

KUNWAR BHARATENDRA SINGH : It is wiser to divert funds to better implemented schemes rather than stick with MGNREGA that is clearly a failure. एक ओर अथाह धन की बर्बादी और दूसरी ओर किसान के सामने मजदूरों की समस्या है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Next is Mr. R.K. Singh. Now, only Mr. R.K. Singh's speech will go on.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have to only put questions. You have to seek only clarifications. The other Members, whom I am going to call, have to only seek clarifications to the Minister and not make a speech. Speech would not be allowed. Therefore, you put a question or seek any clarification from the Minister regarding this subject because it is Half-an-Hour Discussion. Only the initiator can take 10 minutes time. He can explain things. When we are giving the chance, others have to take one minute time and put a question to which you want clarification from the Minister. Do not give any speech.

SHRI R.K. SINGH (ARRAH): Actually, this discussion has been initiated on a Question which was asked by me. I was the original author of the Question. But I had pointed out after the reply when I had asked my supplementaries, as the hon. Member before me said, out of the huge amount of money, which is being spent, most of it, in fact, 70 per cent of it is being siphoned off. कोई काम धरती पर नजर नहीं आ रहा है। हमने माननीय मंत्री जी से उस दिन यह पूछा था कि मनरेगा में इतनी राशि का जो अपव्यय हो रहा है, यह ग्रामीण विकास का सवाल है, मनरेगा में जो इतनी राशि की लूट हो रही है, सभी सदस्य जानते हैं कि लूट हो रही है। उसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने के बारे में सोच रही है। माननीय मंत्री जी ने हमें कहा था कि यह राज्य सरकार की परिधि में आता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कौन्सटीट्यूशन के अनुसार यह सैंट्रल एक्ट है। सैंट्रल गवर्नमैंट को इसमें रूल्स बनाने का अधिकार दिया हुआ है। सैंट्रल गवर्नमैंट के स्तर पर एक काउंसिल है। इसमें जो करैक्टिव स्टैप्स लेने होंगे, वह सैंट्रल गवर्नमैंट को लेने होंगे। यह कहना कि इसके अंतर्गत कार्यवाही स्टेट गवर्नमैंट को करनी होगी, गलत है। इसके अंतर्गत कार्यवाही सैंट्रल गवर्नमैंट को ही करनी होगी।

मुझे ताज्जुब होता है कि हम सब क्षेत्र से आते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। हम सबको जानकारी है कि लूट हो रही है। फिर भी कोई करैक्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है?

HON. CHAIRPERSON : What do you want to ask the Minister?

SHRI R.K. SINGH : I have already asked him.

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, MGNREGA is protecting the dignity of labour. Labour is being guaranteed. During the implementation of the scheme, some lacunae, some defects have been noticed. I am happy that this Government is also going along the same path except that they want to create assets.

Sir, my question is about two major defects that have been noticed. The first one is dearth of technical and professional support in the implementation of this project. The second one is proper financial management. Very often, the money does not reach the workers. This Government is also committed itself for the implementation of MGNREGA but only with a different angle of asset creation.

We have noticed these issues and problems during the implementation of MGNREGA. I want to ask the Government whether they will try to regulate it so that it is properly implemented.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति जी, हम मनरेगा के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन कर रहे हैं। मंत्री जी महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में मनरेगा में बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन आज हम जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, वह यह है कि किसान को खेत में काम करने के लिए जिस तादाद में मजदूरों की उपलब्धि होनी चाहिए, उतने मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इसमें कई डिपार्टमैंट काम करते हैं। रिवैन्यू काम कर रहा है, कहीं एग्रीकल्चर काम करता है, कहीं इरीगेशन काम करता है। हमारा मंत्री जी से आग्रह है कि योजना के कार्यान्वयन के लिए एक ही डिपार्टमैंट रहे। इस माध्यम से खेत में काम करने वाले छोटे किसान को भी मनरेगा का फायदा मिलना चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: After Minister's reply on it, we have to adjourn at 6.00 o'clock because there is a training programme for MPs.

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : सभापति जी, इस योजना का मूल उद्देश्य मिट्टी खोदकर लोगों को काम देना था। ग्राम पंचायतों की स्थिति यह हो गई है कि अब कोई भी मिट्टी का काम शेष नहीं बचा है। इसलिए मेरा मंत्री जी से केवल इतना निवेदन है कि जिस तरह मैटीरियल के लिए 40 प्रतिशत दिया गया है, लेबर्स के लिए 60 प्रतिशत दिया गया है, क्या उसी तरह मशीनों का भी उपयोग इस योजना के लिए किया जाएगा? मेरा सुझाव है कि मशीनों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। यह योजना किसी भी सूरत में बंद करने योग्य नहीं है। इसे चालू रखा जाए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, पोत परिवन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नितिन गडकरी) : सम्माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण योजना जो ग्रामीण, कृषि क्षेत्र और रोजगार के साथ जुड़ी है, उसके बारे में सम्माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनके सभी सुझावों पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में हमारे सदन में जो चर्चा हुई है, उसमें अनेक सम्माननीय सदस्यों ने

कई प्रकार के भ्रष्टाचार के तकरार के बारे में कहा, विशेष रूप से महात्मा गांधी नरेगा में सुधार और परिवर्तन लाने की जरूरत है, यह भी बताया है।

श्रीमान् कुंवर भारतेन्द्र सिंह जी, श्री आर.के. सिंह जी, प्रो. थॉमस और श्री जनार्दन मिश्र जी तथा इनसे पहले भी जिन सदस्यों ने अपनी भावनाएँ व्यक्त की हैं, उन सबकी बातों को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। इसलिए उन्होंने जो अपेक्षा व्यक्त की है, उसमें यह योजना और प्रभावी रूप से किस प्रकार काम करेगी और ग्रामीण क्षेत्र में एसेट कैसे डेवलप करेगी और रोज़गार की निर्मिती कैसे करेगी, इसके लिए भी सरकार गंभीरता से सोच रही है। एक बात जरूर है कि जिन राज्यों में एग्रीकल्चर ग्रोथ-रेट ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, पर-कैपिटा इनकम ज्यादा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात आदि प्रदेशों में स्वाभाविक रूप से खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं। कुछ प्रदेशों में ऐसे भाग हैं, जो ड्रायबल सेक्टर में हैं, जंगल में हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जहाँ गरीब लोगों को रोटी नहीं मिलती, जिनको काम नहीं मिलता है, इसलिए उस समय सरकार ने इस योजना को लाते समय इन सब बातों का जिक्र किया है। पर शायद उस समय यूपीए सरकार को चुनाव की जल्दबाजी होगी, इसलिए इस योजना पर जितनी गंभीरता से विचार होना चाहिए, उसमें कुछ लैप्सेज़ रहे हैं। जिसके कारण आज आप लोगों द्वारा कुछ बातें हमारे सामने लायी गई हैं। मैं आपको बताऊँगा कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए सरकार किसी भी प्रकार से इस योजना में कहीं भी अड़चन नहीं आने देगी, इसके ऊपर कोई टीका-टिप्पणी न हो, इसकी हम पूरी चिन्ता करेंगे। जो ग्रामीण मजदूर हैं, उनको रोजगार देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। जो आपने 60-40 के रेशियो के बारे में कहा, यह एक बहुत बड़ा प्रोब्लम है। मैं जब से आया हूँ, तब से मुझसे सदस्यगण मिलते हैं और इसके बारे में तकरार करते हैं। अभी श्री जनार्दन मिश्रा जी ने यही बात कही है। अगर वैल्यू एडीशन करना है, तो ग्राम पंचायत के लेवल पर 60-40 का रेशियो रखा गया है। यह योजना पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा मंजूर किया हुआ कानून है। इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से हमारा क्या अधिकार है, मंत्रालय का क्या अधिकार है, इसका हमने अध्ययन किया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इसमें थोड़ा-सा बदलाव कर रहे हैं। जिला-स्तर पर हम लोग 49 से 51 प्रतिशत के रेशियो में लाकर वैल्यू एडीशन हो, अच्छा काम हो, इसके लिए सुधार करके ये रेशियो लागू करने का निर्णय सरकार ने किया है। अब आप कहेंगे कि क्या इससे आगे जा सकते हैं? तो इसकी अनुमति नहीं है। यह पहला प्रयोग किया जाएगा। यदि इसके बाद भी आपकी अपेक्षाएँ पूरी नहीं होती हैं, तो आप जरूर हमारे पास आएँ, हम जरूर उस पर विचार करेंगे। इसलिए समुद्र के लिए 49 प्रतिशत है, जो 40 प्रतिशत था और 51 प्रतिशत लेबर के लिए होगा। दूसरा, पहला जो रेशियो 60-40 का था, वह ग्राम पंचायत के लेवल पर था। अब हम इसको जिला-स्तर पर ला रहे हैं। जिला-स्तर पर लाने के कारण इसमें आपको अन्य प्रकार की अनुमति भी मिलेगी, इसमें अड़चन नहीं आएगी। मैं विशेष रूप से वाटर कंजर्वेशन पर काम करता हूँ और पानी से देश में समृद्धता आ सकती है, गरीबी दूर हो सकती है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। इसी संकल्पना पर मेरे डिपार्टमेंट का बहुत जोर है। इसलिए मेरा आप सभी सदस्यगण से एक आह्वान है कि वाटर कंजर्वेशन के जितने भी प्रोग्राम हैं, उन सभी के लिए आप इसमें ज्यादा प्रायरिटी दीजिए। यदि हमारे यहाँ जितनी बरसात आती है, पानी आता है, उसमें 15 से 20 प्रतिशत तालाबों और डैमों में जाता है। 15 से 20 प्रतिशत का कंजर्वेशन होता है और हमारा 60 प्रतिशत पानी समुद्र में बह जाता है। क्या हम सब लोग समुद्र में बहने वाले पानी को बचा सकते हैं? अगर इसे हमने बचा लिया, तो न सूखा आएगा, कुएं में चौबीस घंटे पानी रहेगा और इससे गरीबी दूर हो जाएगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलए हैं श्री अमरीश पटेल। उस समय मैंने श्रीमती सोनिया जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, धुलिया जिले में शिरपुर स्थान है, श्री सातव जी को पता होगा, उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। मैंने अपने अधिकारियों को वहाँ भेजा। जो शिरपुर पैटर्न के नाम पर महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हुआ है, उसमें जमीन के अंदर 35 फीट से अधिक तक नीचे ले जाया गया और एक्जिस्टिंग नालों का विस्थ बढ़ाया गया और इसमें जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी भी इंवाल्वड है। जमीन का कुछ स्ट्राटा ऐसा होता है, जो पानी पीता है और कुछ स्ट्राटा ऐसा होता है, जो पानी को बहा देता है, वह पानी पीता ही नहीं। तो हम लोग जमीन के नीचे जाएं और जब जमीन का स्ट्राटा पानी पीने लगेगा, तो उसमें टी-करके कंक्रीट का ब्लॉक लगा दें, तो पानी पीने की प्रक्रिया तीन-चार गुना ज्यादा बढ़ जाती है। वर्धा जिला, जो गांधी जिला के नाम से प्रसिद्ध है, उस गांव में पहली बार जब मैं गया था तो वहां के लोगों के शरीर पर कपड़े तक नहीं थे, लेकिन जैसे ही यह नौ किलोमीटर की चेक डैम बना तो आज उस गांव के लोगों की गरीबी दूर हो गई, वहां गाड़ियां आ गई, हीरो होंडा आ गई और कुओं में 24 घंटे पानी आ गया। मैं सभी सांसदों से अपील करूंगा कि इसमें मदद करें। यह जो 49-51 प्रतिश के रेशो से वाटर कंजर्वेशन के काम को ज्यादा प्राथमिकता दें। इससे गांवों में गरीबी दूर होगी, कुओं में 24 घंटे पानी मिलेगा। हमारे अर्थ मंत्री ने इस बार एक लाख सोलर वाटर पम्प के लिए अनुमान व्यक्त किया है। सोलर वाटर पम्प अगर लग जाएंगे, तो हमारे कुओं में 24 घंटे पानी आएगा। इससे किसान को 24 घंटे पानी और बिजली मिलेगी, तो गरीबी होने का सवाल ही नहीं है। पानी से ढाई गुना कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और देश की तरक्की होगी। इसलिए इसका जरूर उपयोग किया जाएगा।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जिसमें ग्रामीण और कृषि उत्पादन बढ़े, मजदूरों के आर्थिक विकास के लिए उन्हें रोजगार मिले, इसके लिए इस सिस्टम में सुधार करके राज्यों में जो लघु सिंचन तालाब होते हैं, नहर और जल संसाधन के काम हैं, उन पर ध्यान देना होगा। हमारे महाराष्ट्र में मालगुजारी तालाब कहते हैं, जो सरकार द्वारा बनाए हैं। आर.के. सिंह जी ने सही कहा कि हम उन्हें अनुमति दे रहे हैं। इन सब बातों के लिए हमने इन्हें योजना में शामिल किया है और राज्य सरकारें भी इसे कर सकती हैं।

दूसरी बात यह है कि यह सब टीम इंडिया वाली बात है। मैं आपको दोष नहीं देता, लेकिन जब यह कानून बनाया गया, तब आपने सेंट्रलाइज आफ पावर विद सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया। राज्य सरकारों को इसमें ज्यादा अधिकार नहीं दिए। मैं आज सदन में यह जाहिर करता हूं कि राज्य सरकारें भी 49-51 प्रतिशत के आधार पर अगर कृषि के क्षेत्र में, जल संवर्धन के क्षेत्र में रोजगार देते समय किसी नए काम को एड करना चाहती हैं तो राज्य सरकारों को इस प्रकार के कामों को एड करने की अनुमति हम देंगे, यह बात मैं आज यहां डिक्लेयर कर रहा हूं।

एक और महत्वपूर्ण बात है। हमारे पास अभी तक 3641 तकरारें आई हैं। इनमें भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार, हेरा-फेरी, गलत मस्टर रोल, पैसों का गबन करना, मजदूरी दो हफ्तों में न देकर डिले करना, इन तकरारों के बारे में गम्भीरता से जैसा आर.के. सिंह साहब कह रहे हैं, वह सही बात है। इसमें बहुत प्रकारी गड़बड़ी हुई हैं। मैं भी सोच रहा था कि इसका उपाय क्या है। हैदराबाद के रिमोट सेंसेस के डायरेक्टर को मैंने अपने यहां बुलाया और ग्रामीण विकास अधिकारियों को बुलाकर बैठक की। उस बैठक में हमने दो प्रकार के निर्णय किए। एक तो यह है कि फ्लाइंग स्क्वायड तो हम रखेंगे ही, आपने सही कहा है कि यह हमारा अधिकार है। हम इसकी जांच कर सकते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसमें उचित और कड़क कार्रवाई करें। इसलिए हम इस पर अमल करेंगे। भारत में अंतरिक्ष में जो प्रगति हुई है, उसका उपयोग करके ग्रामीण योजना में जो काम हो रहा है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग हो सकता है, इस बारे में मैंने मीटिंग करवाई थी। मेरे ध्यान में जो आया, वह यह है कि रिमोट सेंसेस द्वारा हम लोग भ्रष्टाचार को दूर करने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए एक सेक्शन यहां दिल्ली में बना रहे हैं। हर काम जो राज्य सरकार करेगी, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस मनरेगा की मानिटेरिंग इस कक्ष में बैठ कर कर सकेंगे। इतनी ज्यादा तकनीक विकसित हो गई है कि आप रास्ते में चलेंगे तो भी हम रिमोट सेंसेस से चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सी ड्रैस पहनी है। इसलिए यहां पूरा चेकिंग कक्ष होगा और हम चेकिंग करेंगे। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी गबन करेगा, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

इसमें एक दूसरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम आई है। हम ई-गवर्नेंस का उपयोग करके इलेक्ट्रानिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हम मजदूरों को डायरेक्ट पैसा या मजदूरी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसमें औसतन डिले नहीं होगा। मैं यह आश्वासन दे रहा हूं कि डिले नहीं होगा, अगर मान लो कि दो हफ्तों का डिले हो गया, तो हम उसे एडिशनल पैसा देंगे। अगर कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं करती तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसलिए कि आपने डिले क्यों किया, क्योंकि इसमें पैसे की कमी नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन सब बातों में कई सदस्य मुझे कहते हैं, लेकिन उसमें अड़चन है। जो भी बात करने लायक होगी, वह मैं जरूर करूंगा। जैसे सातव जी कह रहे थे कि खेती में गेहूं और चावल जो बोते हैं और मजदूरी करते हैं, उन्हें भी मनरेगा के तहत लाया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इस योजना का कोई अर्थ नहीं रहेगा। कृषि क्षेत्र में जैसे हम भंडार गृह बनाना चाहते हैं या अन्य योजनाएं जिनसे किसान को फायदा मिल सकता है, वह जरूर करेंगे।...(व्यवधान) कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): The workers who are working in the area of traditional industries like cashew, coir, etc. are facing a big problem. ...(*Interruptions*)

18.00 hrs.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, now it is six o'clock. If the House agrees, we may extend the time of the House till the Minister's reply, followed by 'Zero Hour' matters.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Okay, now the Minister may continue with his reply.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Mr. Chairman, Sir, the workers who are working in traditional industries like coir and cashew are facing a lot of problems due to lack of employment. ...(*Interruptions*)

श्री नितिन गडकरी : मैं सम्माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, राज्य सरकारें नहीं, आप जितने लोग यहां बैठे हैं सब लोग मिलकर नरेगा में कौन-कौन से काम लेने चाहिए, यदि आपके कोई सुझाव होंगे तो हमारा माइंड ओपन है। आपके जो-जो सुझाव हम स्वीकार कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार करके उन पर हम अमल करेंगे। The purpose of the Act is कि उसमें हम वैल्यू-एडीशन करना चाहते हैं और एम्प्लाएमेंट पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं। यह आपकी बात सही है कि यह 60-40 में केवल पैसे बांटे जाते थे, वैल्यू-एडीशन नहीं होता था और इसलिए सभापति जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में हम लोग स्पेस-टैक्नोलॉजी का उपयोग करके रिमोट सेंसस से पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। मजदूरों को ई-गवर्नेंस का उपयोग करके इलैक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा उनको तुरंत मजदूरी मिले, इसकी व्यवस्था करेंगे। राज्य सरकारों को इसमें कुछ नये काम लेने हैं तो हमारे प्रिंसीपल में जो जिला स्तर पर हमने 49-51 परसेंट रखा है, उसमें राज्य सरकार नये काम एड कर सकते हैं, उसे अनुमति देंगे और इसके अलावा आपके क्षेत्र में ्से नार्थ-ईस्ट अलग क्षेत्र है, क्योंकि यह सही है, हमारे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रश्न और समस्याएं हैं। अब वहां के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में वैल्यू-एडीशन का कोई नया काम आप बताओगे और वह अगर 107 काम ऑलरेडी आधे में हैं, राज्यों को भी इसके लिए अधिकार दिये हैं। इसके अलावा और कोई अच्छा काम है उसे भी हम खुले दिल से जो भी आपके सुझाव होंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे और उन पर अमल करेंगे। मैं फिर से एक बार सम्माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उपस्थित की।

HON. CHAIRPERSON: Now, let us take up 'Zero Hour', Shri Vikram Usendi.

...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Mr. Chairman, Sirâ€¦

HON. CHAIRPERSON: The Minister has already given his reply.

...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I am trying to seek just one clarification....(*Interruptions*) I am sitting here very silently, and I never spoke. All I am

asking for is your permission to seek one clarification.

HON. CHAIRPERSON: What do you want?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : गडकरी साहब ने बहुत लम्बा उत्तर दिया है लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि यह जो मनरेगा का कानून बना है, यह सिर्फ इलेक्शन की नीयत से बना हुआ है, या बहुत गड़बड़ी में बना हुआ है, यह कहना ठीक नहीं है। ...(व्यवधान) हो सकता है आपका परसेप्शन हो, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स इस देश में हैं उन लोगों को काम नहीं मिलता था। बहुत से लोग दूसरे राज्यों में माइग्रेट होते थे। इसीलिए यह मनरेगा का कार्यक्रम लाकर उनको वेजिज भी अच्छे मिलें और काम भी मिले और सरकार को असेट क्रेट करने का मौका भी मिले। इसीलिए आपके जितने भी पानी के टैंक्स रिपेयर का काम है, रेस्टोरेशन का काम है, रिपेयर का काम है, रास्ते का काम है, ये जितने भी काम किये हैं...(व्यवधान) हो सकता है उनमें खामियां भी हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि उस स्कीम को हम खत्म कर दें। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अरे, यह स्कीम खत्म करने की बात कहां से आ गयी। ...(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : जीरो-आवर शुरु करवाइये सर।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: There shall be no further discussion on this issue. Now, let us take up 'Zero Hour', Shri Vikram Usendi.